

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासना

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस,
30प्र0 लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 2017

विषय : मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस, आगरा के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4347/लेखा/भवन आवंटन-83/2013 (पार्ट-आगरा), दिनांक 16 मार्च, 2017 एवं पत्र संख्या-260/लेखा/भवन आवंटन-83/2013 (पार्ट-आगरा), दिनांक 28.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-70/2015-2986/95-2015-13 बजट/15, दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से आकलित धनराशि 980.73 लाख (रु० नौ करोड अस्सी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किस्त के रूप में रु० 4,90,36,000/- (रु० चार करोड नब्बे लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त के क्रम में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रु० 3,00,00,000/- (रु० तीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपभोग की तथा कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.18 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापित्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करायी जाय। प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आर्थारिटी से स्वीकृत करायी जाय।

(3) प्रयोजना प्रस्ताव का गठन वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार किया गया है, परन्तु प्रभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर लागत का परीक्षण किया गया है।

(4) प्रयोजनान्तर्गत बैरक हेतु लकड़ी के तख्त कुर्सी, एवं प्रशासनिक भवन हेतु कार्यालय फर्नीचर आदि के क्रय का क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करते हुए निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(5) प्रयोजना में प्रस्तावित मिटटी भराई हेतु जिलाधिकारी स्तर पर गठित तकनीकी समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही अवशेष धनराशि देय होगी एवं विधुत संयोजन हेतु विधुत विभाग से प्राप्त आगणन के आधार पर वास्तविकता के आधार पर धनराशि देय होगी। अतः कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि विधुत विभाग से आगणन प्राप्त कर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य का निरन्तर अनुश्रवण कर धनराशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना का विस्तृत आगणन एवं मानचित्र कार्यदायी संस्था द्वारा अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय तथा निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को अवश्य किया जाय।

(10) उक्त निर्माण कार्य संलग्न आगणन एवं मानचित्र के अनुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के अन्तर्गत कराया जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग तत्सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमों के आलोक में यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य पूर्ण करायें तथा शासनादेश दिनांक 28.03.13 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) भवन में विकलांगजन के प्रवेश हेतु बैरियर फ्री रैम्प व रैलिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-08-मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
ह/0
(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2017/455(1)/पन्चानबे-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय कमाण्डेण्ट/जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, आगरा।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (द्वारा महासमादेष्टा होमगार्डस, 30प्र0)
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह/0
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।